राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/1275 दिनांक– 14/02/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अतुल सरोलिया (लिंक नम्बर 3249), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I का स्थानान्तरण उपकोषाधिकारी, अराई, अजमेर से जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा परिषद्), अजमेर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सरोलिया द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री सरोलिया को निदेशालय की वेवसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री सरोलिया को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 14.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सरोलिया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री सरोलिया को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण** 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/1275 दिनांक– 14/02/2018

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. कोषाधिकारी, अजमेर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा परिषद्), अजमेर।
3. श्री अतुल सरोलिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय– उपकोषाधिकारी, अराई, अजमेर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)